न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्रीमति शिल्पा सिंह, आई.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 194/2020/प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 15.10.2020	तारीख फैसला 03.09.2021

उनवान

1– श्रीमती हंसा कंवर पत्नी शक्ति सिंह राजपूत निवासी पपलाज तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
2– शक्ति सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत निवासी पपलाज तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
3– छगना पुत्र श्री नाथु तेली निवासी सालरिया तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– काना पुत्र श्री मांगु, गुर्जर, निवासी खेडी खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251क (उपधारा 1) राज0टिवएक्ट, 1955

उपस्थिति – श्री त्रिलोकचंद नौलखा :– अभिभाषक प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थी संख्या 1 के खाते व कब्जे काश्त की कृषिभूमि ग्राम खेड़ीखुर्द प0ह0 गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित है। जिसके खाता संख्या 178 होकर आराजी नंबर 643 रकबा 0.69 एवं आ0संख्या 933/643 रकबा 0.02 हैक्टर गे0मु0आचा कुल किता दो रकबा 0.71 हैक्टर है। प्रार्थी संख्या 2 व 3 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की कृषिभूमि ग्राम खेड़ी खुर्द प0ह0 गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित है। जिसके खाता संख्या 163 आराजी नंबर 644 रकबा 0.95 हैक्टर है। जिसमें प्रार्थी संख्या 2 व 3 का 1/2–1/2 हक व हिस्सा निहित होकर उसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी संख्या 1 की पेरा संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजी व प्रार्थी संख्या 2 व 3 की कृषि आराजी के बदिशा पश्चिम में सटवा है तथा प्रार्थीगण अपनी आराजी पर 646 की पश्चिमी मेर पर होकर आते जाते है। उक्त रास्ते का उपयोग–उपभोग प्रार्थीगण वर्षों से जब से आराजी खरीद की तब से व उससे पूर्व उक्त आराजी के खातेदार उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग निरंतर बिना किसी बाधा के करते चले आ रहे थे। आराजी संख्या 646 अप्रार्थी संख्या 1 के खाते व कब्जे काश्त की है। प्रार्थीगण वर्षों से अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी संख्या 646 की पश्चिमी मेर से होकर पेरा संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजी में आते जाते है तथा फसल काश्त करने हेतु कृषि उपकरण लाते ले जाते हैं। प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने का उक्त रास्ता ही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसी एकमात्र रास्ते से प्रार्थीगण अपनी आराजी पर हल, बैल, ट्रैक्टर कृषि उपकरण आदि लाते ले जाते है। अप्रार्थी संख्या 1 पेरा संख्या 3 व 4 में वर्णित एकमात्र उक्त रास्ते को बंद करने पर आमादा है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 ने वर्तमान में खरीफ की फसल की बुवाई का समय नजदीक है और प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त रास्ते पर जाने से मना किया

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

तथा दिनांक 10.06.2020 को उक्त एकमात्र रास्ते को बंद कर दिया। इस कारण प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई । प्रार्थीगण की आराजी संख्या 643, 933/643 एवं 644 पर जाने के लिए प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 व 4 में वर्णित एकमात्र रास्ते के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी संख्या 646 की पश्चिमी मेर में 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की आराजी तक जाने की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक छोड़ा जाना आवश्यक है, अन्यथा प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात तक नहीं आ जा सकेंगे तथा कृषि उपकरण, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि नहीं ला ले जा सकेंगे तथा अपनी आराजी की बुवाई नहीं कर सकेंगे। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 643, 933/643 व 644 पर जाने के लिए पेरा संख्या 6 में वर्णित अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 आराजी संख्या 646 की पश्चिम मेर के सहारे सहारे लम्बाई में 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की आराजी तक जाने की लंबाई में छोड़ जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी संख्या 646 से अवाप्त किया जाना न्यायोचित है जिसके लिए प्रार्थीगण नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी आराजी संख्या 643, 933/643 व 644 पर जाने के लिए एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी संख्या 646 की पश्चिमी मेर के पास में से 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की आराजी तक लंबाई में अवाप्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज कराने का आदेश बक्षावें। जिसके लिए। प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 03.03.2021 को विपक्षी सं0 01 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही गयी एवं प्रकरण मौका रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा नियत किया गया। दिनांक 03.09.2021 को तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक 590 दिनांक 25.08.2021 से प्रकरण में डीलसी रिपोर्ट एवं भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 920/648 बिलानाम आराजी रकबा 0.12 है0 में से रास्ते हेतु 0.03 है0 भूमि एवं आराजी नम्बर 646 रकबा 1.17 है0 में से 0.07 है0 भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गयी है। एवं उक्त प्रस्तावित रास्ते से प्रार्थी एवं विपक्षी दोनों सहमत होकर सहमति के हस्ताक्षर मौका रिपोर्ट पर किये है। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस करनी चाही जिससे उनकी एकतरफा बहस सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा भू0अ0निरीक्षक रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते पर सहमति जाहिर की एवं भू0अ0निरीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं तहसीलदार शाहपुरा से रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि के संबंध में प्राप्त डीएलसी रिपोर्ट अनुसार निम्न सारणी अनुसार खातेदारान की आराजियात में से रास्ते की चौड़ाई 13 फीट रखते हुए रास्ता दिया जाना है।

क्र.सं.	नाम खातेदारान	आराजी नम्बर	कुल रकबा है0 में	रास्ते हेतु वांछित भूमि ल. × चौ. वर्ग फीट में	रकबा वर्ग फीट में	रकबा है0 में	डीएलसी अनुसार भूमि की मालियत को रास्ते हेतु दुगना करने पर राशि
1.	बिलानाम सरकार	920/648	0.12	250 × 13	3250	0.03	7700/-
2.	काना पुत्र मागू गुजर सा. खेड़ी खुर्द खातेदार	646	1.17	591 × 13	7683	0.07	22113/-
	कुल राशि अक्षरे उन्नतीस हजार आठ सौ तेरह रूपये						29813/-

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम खेड़ी खुर्द प0म0 गिरड़िया तहसील शाहपुरा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी तक पहुंचने हेतु विपक्षी सं0 01 आराजी सं0 646 रकबा 1.17 है0 में से 591 फीट लम्बा × 13 फीट चौड़ा रास्ता हेतु 0.07 है0 भूमि की आवश्यकता होगी डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशि 22113/– बनती है। एवं बिलानाम आराजी 920/648 रकबा 0.12 है0 में से 250 फीट लम्बा × 13 फीट चौड़ा रास्ता हेतु 0.03 है0 भूमि की आवश्यकता होगी डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशि 7700/– बनती है। इस प्रकार कुल राशि **29813/– रूपये अक्षरे उन्नतीस हजार आठ सौ तेरह रूपये** उक्त सूची अनुसार संबंधित काश्तकार को भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। उक्त आराजी का नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 03.09.2021 सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा(भीलवाड़ा)राज.

(शिल्पा सिंह)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा(भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा(भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार शाहपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम की कार्यवाही करें।

संलग्न :– नक्शा ट्रेस की प्रति

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा(भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा(भीलवाड़ा) राज.